भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 479
06.02.2023 को उत्तर के लिए

बाघों को स्थानांतरित करना

479. श्री एंटो एन्टोनी :
कुमारी राम्या हरिदास :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में बाघों की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं, यदि हां, तो उनकी गणना की अंतिम तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की बाघों को एक वन से दूसरे वन में स्थानांतरित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार को केरल के वायनाड जिले में वनों से बाघों के पुनर्वास के संबंध में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;
(ड.) क्या सरकार द्वारा केरल राज्य में बाघों के संरक्षण के लिए कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है;
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत केरल को कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है; और
(छ) निधियों में वृद्धि करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है क्योंकि राज्य सरकारों को बाघ संरक्षण परियोजनाओं के लिए और अधिक निधियों की आवश्यकता है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क): प्रत्येक चार वर्ष में होने वाली अखिल भारतीय बाघ आकलन प्रक्रिया, जिसमें सुदृढ़ वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके बाघों, सह-परभक्षी और शिकार की स्थिति का आकलन किया जाता है, में दर्शाया गया है कि वर्ष 2018 में किए गए नवीनतम आकलन के अनुसार, बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2014 में इनकी अनुमानित संख्या 2226 (रेंज 1945-2491) की तुलना में 2967 (रेंज 2603-3346) हो गई है। चतुर्वार्षिक अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार, बाघ आकलन-2018 का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ख): भारत सरकार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के माध्यम से प्रबंधन कार्यकलापों को बढ़ावा देती है, ताकि बाघों के प्राकृतिक रूप से आवाजाही को सुलभ बनाए रखने के लिए पर्यावासों

को परस्पर जोड़ना सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, बाघों का किसी अन्य पर्यावास में स्थानांतरण भू-परिदृश्य के स्तर पर वन क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास की दिशा में सक्रिय प्रबंधन हेतु एनटीसीए द्वारा जारी ''प्रोटोकॉल ऑफ री-इंट्रोडक्शन'' और मानक संचालन कार्य पद्धति (एसओपी) के अनुसार किया जाता है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): प्रश्न नहीं उठता है।

(ड.), (च) और (छ): केरल सहित बाघ बहुल राज्यों को बाघ रिजर्व की स्वीकृत वार्षिक कार्य-योजना और राज्य सरकार द्वारा विधिवत प्रस्तुत उपयोग प्रमाण-पत्र के अनुसार बाघों के संरक्षण, बाघ एवं अन्य वन्यजीव संरक्षण के संबंध में जागरूकता बढ़ाने, पर्यावास प्रबंधन, सुरक्षा, पारिस्थितिकीय विकास, मानव संसाधन और अवसंरचना विकास तथा स्वैच्छिक आधार पर गांवों के पुनर्वास के लिए बाघ परियोजना की वर्तमान केन्द्रीय - प्रायोजित स्कीम के तहत सहायता प्रदान की जाती है। गत तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान बाघ परियोजना की वर्तमान केन्द्रीय-प्रायोजित स्कीम के तहत केरल की राज्य सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत् है:-

(लाख रुपये में राशि)

क्र.सं.	**बाघ रिजर्व**	**राज्य**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23 (प्रथम किश्त) (31.1.2023 की स्थिति के अनुसार)**
1	पेरियार	केरल	331.24	212.19	488.89	118.88
2	परामि्बकुलम	केरल	275.83	190.69	379.90	84.37

बाघ परियोजना के अलावा, राज्य सरकारें बाघ संरक्षण फाउंडेशनों, प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण तथा राज्य स्तरीय स्कीमों से प्राप्त संसाधनों का भी उपयोग करती हैं।

*****

अनुबंध-I

'बाघों को स्थानांतरित करने' के संबंध में दिनांक 06.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 479 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में बाघ परिदृश्यों के संबंध में बाघों के आकलन का ब्यौरा, 2018

राज्य	बाघों की संख्या
	2018
शिवालिक-गांगेय मैदान भू-परिदृश्य कॉम्प्लेक्स	
उत्तराखंड	442
उत्तर प्रदेश	173
बिहार	31
शिवालिक गांगेय	**646**
मध्य भारतीय भू-परिदृश्य कॉम्प्लेक्स और पूर्वी घाट भू-परिदृश्य कॉम्प्लेक्स	
आंध्र प्रदेश	48
तेलंगाना	26
छत्तीसगढ	19
मध्य प्रदेश	526
महाराष्ट्र	312
ओडिशा	28
राजस्थान	69
झारखंड	5
मध्य भारत	**1033**
पश्चिमी घाट भू-परिदृश्य कॉम्प्लेक्स	
कर्नाटक	524
केरल	190
तमिलनाडु	264
गोवा	3
पश्चिमी घाट	**981**
पूर्वोत्तर की पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र के बाढ़ का मैदान	
असम	190
अरुणाचल प्रदेश	29
पूर्वोत्तर पहाड़ी और ब्रह्मपुत्र	**219**
सुंदरबन	88
कुल	**2967**

*****